न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 102/2021

दुर्गाराम पुत्र बिलासराय जाति मीणा, निवासी चुड़ेला, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
छोटूराम पुत्र बिलासराय जाति मीणा, निवासी चुड़ेला, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम दुर्गाराम वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 23/2021 निर्णय दिनांक 09.08.2021

उपस्थिति:–

1 श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट ----- ------ -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 22.12.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम दूर्गाराम वगैरह मु0नं0 23/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– राजस्व ग्राम चुड़ेला के भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बंजड़ में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को मूंग, बाजरा, चवला लगाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किए है। जबकि उक्त विवादित भूमि तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ की रही है तथा अपीलान्ट के [illegible] तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ से लगान के बदले कब्जा प्राप्त किया था तथा कब्जा प्राप्ति [illegible] के समय से कब्जा काश्त है। अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलान्ट भूमिहीन परिवार का व्यक्ति है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.1997 की पेनल्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.31 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

की रसीद पेश की थी जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा भी साबित होता है। अपीलान्ट के आस–पास की जमीन का आंवटन, भूमि पर काबिज लोगों को हो गया है लेकिन अपीलान्ट के अनपढ होने के कारण अपीलान्ट आंवटन नही करवा पाए। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.08.2021 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अपीलान्ट करीब तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ के समय से उक्त विवादित भूमि पर काबिज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2021 को खारिज कर विवादित भूमि का अपीलान्ट के हक में नियमन किया जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि :–राजस्व ग्राम चुड़ेला के भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बंजड़ में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को मूंग, बाजरा, चवला लगाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किए है। जबकि उक्त विवादित भूमि तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ की रही है तथा अपीलान्ट के पूर्वजों ने तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ से लगान के बदले कब्जा प्राप्त किया था तथा कब्जा प्राप्त करने के समय से कब्जा काश्त है। अपीलान्ट के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है। अपीलान्ट भूमिहीन परिवार का व्यक्ति है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.1997 की पेनल्टी की रसीद पेश की थी जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा भी साबित होता है। अपीलान्ट के आस–पास की जमीन का आंवटन भूमि पर काबिज लोगों को हो गया है लेकिन अपीलान्ट के अनपढ होने के कारण अपीलान्ट आंवटन नही करवा पाए। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.08.2021 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अपीलान्ट करीब तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ के समय से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.31 16:43:07 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि पर काबिज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2021 को खारिज कर विवादित भूमि का अपीलान्ट के हक में नियमन किया जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 329 कुल रकबा 6.57 हैक्टर किस्म बंजड़ के रकबा 0.80 हैक्टर पर मूंग, बाजरा, चवला आदि लगाकर अतिकमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि अभी आवंटित नहीं हुई है, इसलिए पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा अपीलांट को राजस्व ग्राम चुड़ेला के भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बंजड़ में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलान्ट को मूंग, बाजरा, चवला लगाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित किए है। जबकि उक्त विवादित भूमि तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ की रही है तथा अपीलान्ट के पूर्वजों ने तत्कालिन ठिकाना बिसाऊ से लगान के बदले कब्जा प्राप्त किया था तथा कब्जा प्राप्त करने के समय से कब्जा काश्त है। अपीलांट के चारों ओर बंजड़ भूमि थी वो सभी आवंटन हो चुकी है। प्रार्थी अनपढ एवं गरीब व्यक्ति है। वह अज्ञानता के कारण भूमि को आवंटित नहीं करवा सका। प्रार्थी की रोजी रोटी इसी भूमि से चलती है आदि। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बतौर साक्ष्य पेश की गई पुरानी पेनल्टी रसीदों का अवलोकन करने से विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना साबित होता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुराने कब्जे के आधार पर अतिकमित भूमि की किस्म बंजड–2 होने से नियमन योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.08.2021 उनवानी सरकार बनाम दुर्गाराम वगैरह मु0नं0 23/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नायब तहसीलदार बिसाऊ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पेश किए गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.31 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.12.31 15:43:07 IST
Reason: SelfAttested